चीन लोक गणराज्य
और
भारत गणराज्य
के बीच
कौंसली अभिसमय

चीन लोक गणराज्य और भारत गणराज्य ने,

अपने-अपने राष्ट्र और राष्ट्रिकों के अधिकारों और हितों के संरक्षण को सुविधाजनक बनाने, और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने पारस्परिक कौंसली संबंधों को विकसित करने की इच्छा रखते हुए,

मौजूदा कौंसली अभिसमय सम्पन्न करने का निर्णय किया है और नीचे लिखे अनुसार सहमति व्यक्त की है:

अध्याय-एक
परिभाषा
अनुच्छेद-1
परिभाषा

मौजूदा अभिसमय के प्रयोजनों के लिए नीचे लिखी अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो यहां उनके लिए नीचे दिया गया है :

(क) "कौंसली केन्द्र" से अभिप्रेत होगा: कोई भी महा कौंसलावास, कौंसलावास, उप कौंसलावास अथवा कौंसली अभिकरण;

(ख) "कौंसली कार्यक्षेत्र" से अभिप्रेत होगा: वह क्षेत्र जो कौंसली कार्यों को करने के लिए किसी कौंसली केन्द्र को सौंपा गया है;

(ग) "कौंसली केन्द्र प्रमुख" से अभिप्रेत होगा: वह व्यक्ति जिसे उस हैसियत में काम करने का दायित्व सौंपा गया है;

(घ) "कौंसली अधिकारी" से अभिप्रेत होगाः कौंसली केन्द्र प्रमुख सहित कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे उस हैसियत से कौंसली कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है;

(ड.) "कौंसली केन्द्र के प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी" से अभिप्रेत होगाः कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कौंसली केन्द्र में प्रशासनिक अथवा तकनीकी सेवाएं करता है;

(च) "सेवा कर्मचारी वर्ग का सदस्य" से अभिप्रेत होगाः कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कौंसली केन्द्र की घरेलू सेवा में नियुक्त किया गया है;

(छ) "कौंसली केन्द्र के सदस्यों" से अभिप्रेत होंगे : कौंसली केन्द्र के कौंसली अधिकारी, प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारी तथा सेवा कर्मचारी;

(ज) "पारिवारिक सदस्यों" से अभिप्रेत होंगेः कौंसली केन्द्र के सदस्य की पत्नी/पति, बच्चे तथा माता-पिता जो उस पर निर्भर हों और उसके परिवार के अंग हों;

(झ) "निजी कर्मचारी" से अभिप्रेत होगाः कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे कौंसली केन्द्र के सदस्य की निजी सेवा में नियुक्त किया गया है;

(ञ) "कौंसली परिसर" से अभिप्रेत होगाः वे भवन अथवा भवनों के भाग तथा उससे संबद्ध भूमि, चाहे उसका स्वामी कोई भी हो, जिनका इस्तेमाल अनन्य रूप से कौंसली केन्द्र के प्रयोजन के लिए किया जाता है;

(ट) "कौंसली अभिलेखों" से अभिप्रेत होंगेः कौंसली केन्द्र के सभी कागजात, दस्तावेज, पत्राचार, पुस्तकें, फिल्में, टेप और रजिस्टर जिनमें साइफर और कोड, कार्ड-इंडेक्स तथा कोई भी ऐसा फर्नीचर शामिल है जो उनकी सुरक्षा अथवा हिफाजत के लिए है;

(ठ) "प्रेषक राज्य के राष्ट्रिक" से अभिप्रेत होगाः कोई भी ऐसा नैसर्गिक व्यक्ति जिसके पास प्रेषक राज्य की राष्ट्रिकता हो और जहां लागू हो, प्रेषक राज्य के विधिक व्यक्ति भी;

(ङ) "प्रेषक राज्य के जहाज" से अभिप्रेत होगाः कोई भी जहाज जो प्रेषक राज्य की विधि के अनुपालन में उसके झण्डे तले चल रहा हो, इसमें सैन्य जहाज शामिल नहीं हैं;

(ढ) "प्रेषक राज्य के वायुयान" से अभिप्रेत होगाः कोई भी ऐसा वायुयान जो प्रेषक राज्य में पंजीकृत हो और उस पर उस राज्य का पंजीकरण चिन्ह लगा हो, इसमें सैन्य वायुयान शामिल नहीं हैं।

अध्याय-दो

कोंसली केन्द्र की स्थापना और इसके सदस्यों की नियुक्ति।

अनुच्छेद-2

कोंसली केन्द्र की स्थापना

1. प्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश में कोंसली केन्द्र की स्थापना उस राज्य की सहमति से ही की जा सकती है।

2. कोंसली केन्द्र का स्थान, इसका वर्गीकरण और इसका कोंसली कार्यक्षेत्र तथा उनसे संबंधित कोई भी परिवर्तन प्रेषक राज्य और प्राप्तकर्ता राज्य के बीच परामर्श के जरिए निर्धारित किए जाएंगे।

3. प्रेषक राज्य कोंसली केन्द्र के सदस्यों की संख्या को, इसके कार्यभार तथा इसकी सामान्य गतिविधियों की आवश्यकता के अनुसार तय करेगा जबकि प्राप्तकर्ता राज्य इस बात की अपेक्षा रख सकेगा कि केन्द्र के सदस्यों की संख्या कोंसली कार्यक्षेत्र की स्थितियों और उस केन्द्र विशेष की वास्तविक आवश्यकताओं की रोशनी में एक ऐसी सीमा के अन्दर रखी जाए जो उचित और सामान्य हो।

अनुच्छेद-3

कोंसली केन्द्र प्रमुख की नियुक्ति और प्रवेश

1. प्रेषक राज्य कोंसली केन्द्र प्रमुख की नियुक्ति के लिए राजनयिक सूत्रों के माध्यम से प्राप्तकर्ता राज्य की सहमति प्राप्त करेगा।

2· प्राप्तकर्ता राज्य की सहमति मिल जाने पर प्रेषक राज्य अपने राजदूतावास के माध्यम से अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्तकर्ता राज्य के विदेश मंत्रालय को एक कौंसली नियुक्ति पत्र भेजेगा जिसमें कौंसली केन्द्र प्रमुख के नाम और ओहदे, कौंसली केन्द्र के स्थान तथा वर्गीकरण तथा कौंसली कार्यक्षेत्र का उल्लेख होगा।

3· कौंसली केन्द्र प्रमुख का कौंसली नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाने पर, प्राप्तकर्ता राज्य उन्हें अपने कौंसली काम करने के लिए यथाशीघ्र प्राधिकार पत्र देगा जिसे किसी भी रूप में मान्यता पत्र कहा जाएगा।

4· मान्यता पत्र दिए जाने तक प्राप्तकर्ता राज्य कौंसली केन्द्र प्रमुख को अपने कौंसली कार्य करने की अनान्तिम आधार पर अनुमति देगा।

5· जैसे ही प्राप्तकर्ता राज्य कौंसली केन्द्र प्रमुख को कौंसली कार्य करने हेतु प्राधिकार पत्र दे देता है, चाहे वह अनन्तिम ही क्यों न हो, वैसे ही वह सक्षम प्राधिकारियों को कौंसली कार्यक्षेत्र के बारे में सूचना देगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि कौंसली केन्द्र प्रमुख अपने कार्य कर सके, इसके लिए और मौजूदा अभिसमय में जिन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की व्यवस्था है, उनसे वह लाभ ले सके, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

अनुच्छेद-4

कौंसली केन्द्र प्रमुख के कार्यों का अस्थायी निष्पादन

1· यदि कौंसली केन्द्र प्रमुख किसी कारण से अपने कार्यों का निर्वाह नहीं कर पाता अथवा यदि उसका पद अस्थायी रूप से रिक्त है तो प्रेषक राज्य प्राप्तकर्ता राज्य में कौंसली केन्द्र अथवा किसी अन्य कौंसली केन्द्र के किसी कौंसली अधिकारी को कौंसली केन्द्र का कार्यवाहक प्रमुख नामित कर सकता है। प्रेषक राज्य प्राप्तकर्ता राज्य को कौंसली केन्द्र के कार्यवाहक प्रमुख का पूरा नाम और मूल ओहदा पहले से बताएगा।

2. कोंसली केन्द्र के कार्यवाहक प्रमुख को भी वही अधिकार, सुविधाएं, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो इस अभिसमय के अन्तर्गत कोंसली केन्द्र प्रमुख को प्राप्त हैं।

3. कोंसली केन्द्र के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में मनोनीत राजनयिक अधिकारी इस प्रकार के राजनयिक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां लेता रहेगा जो उसे मिलती हैं।

अनुच्छेद-5

आगमन और प्रस्थान की सूचना

प्रेषक राज्य प्राप्तकर्ता राज्य को उपयुक्त समय पर नीचे लिखी सूचना लिखित रूप में देगा:

(क) कोंसली केन्द्र के सदस्य का पूरा नाम और ओहदा, उसके आगमन और अन्तिम प्रस्थान अथवा उसके कार्यों की समाप्ति की तारीख तथा कोंसली केन्द्र में उसकी सेवा अवधि में उसके ओहदे में हुआ कोई परिवर्तन;

(ख) कोंसली केन्द्र के किसी सदस्य के परिवार के सदस्य का पूरा नाम, राष्ट्रिकता और आगमन तथा अन्तिम प्रस्थान की तारीख और यह तथ्य कि कोई व्यक्ति परिवार का सदस्य बन गया है अथवा परिवार का सदस्य नहीं रह गया है;

(ग) निजी कर्मचारी वर्ग के सदस्य का पूरा नाम, राष्ट्रिकता, कार्य और आगमन तथा अन्तिम प्रस्थान की तारीख।

अनुच्छेद-6

पहचान पत्र

प्राप्तकर्ता राज्य की विधि और विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी कोंसली केन्द्र के सदस्यों तथा उनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त पहचान पत्र जारी करेंगे।

अनुच्छेद-7

कोंसली अधिकारियों की राष्ट्रिकता

कोंसली अधिकारी प्रेषक राज्य का राष्ट्रिक होगा।

अनुच्छेद-8

"अवांछित" घोषित व्यक्ति

1. प्राप्तकर्ता राज्य राजनयिक सूत्रों के माध्यम से प्रेषक राज्य को किसी भी समय यह सूचना दे सकता है कि कोई कोंसली अधिकारी अवांछित व्यक्ति है अथवा कोंसली केन्द्र का कोई अन्य सदस्य अस्वीकार्य है और प्राप्तकर्ता राज्य अपने फैसले के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित मामलों में प्रेषक राज्य उस व्यक्ति को वापस बुला लेगा अथवा कोंसली केन्द्र में उसके कार्यों को समाप्त कर देगा। यदि प्रेषक राज्य अपने दायित्वों को उपयुक्त समय के भीतर नहीं निभा पाता है तो प्राप्तकर्ता राज्य को यह अधिकार होगा कि वह संबंधित व्यक्ति से स्वीकृति वापस ले ले अथवा उसे कोंसली केन्द्र का सदस्य समझना बंद कर दे।

3. कोंसली केन्द्र के सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति के प्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश में पहुंचने से पहले अथवा यदि वह पहले ही प्राप्तकार्ता राज्य में है तो कोंसली केन्द्र में अपने दायित्वों का निर्वाह करने से पहले ही अस्वीकार्य घोषित किया जा सकता है। ऐसे किसी भी मामले में प्रेषक राज्य उसकी नियुक्ति रद्द कर देगा।

अध्याय-तीन

कोंसली कार्य

अनुच्छेद-9

सामान्य कोंसली कार्य

कोंसली अधिकारी को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा :

(क) प्रेषक राज्य तथा उसके राष्ट्रिकों के अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना;

(ख) प्रेषक राज्य तथा प्राप्तकर्ता राज्य के बीच आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक संबंधों को बढ़ाना तथा इसके अलावा उनके आपसी मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सहयोग को प्रोत्साहित करना;

(ग) आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रों में प्राप्तकर्ता राज्य की स्थितियों के बारे में सभी प्रकार के विधिसम्मत तरीकों से पता लगाना और इस संबंध में प्रेषक राज्य की सरकार को सूचना देना;

(घ) प्रेषक राज्य द्वारा प्राधिकृत अन्य ऐसे कार्य करना जो प्राप्तकर्ता राज्य के विधि और विनियमों द्वारा निषिद्ध न हों अथवा जिन पर प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा कोई आपत्ति न हो।

अनुच्छेद-10

राष्ट्रिकता और सिविल पंजीकरण से संबंधित आवेदन पत्र

1. कोंसली अधिकारी अपने कोंसली कार्यक्षेत्र की सीमाओं के भीतर रहते हुए निम्नलिखित कार्य करने का हकदार होगा :

(क) राष्ट्रिकता आवेदन पत्र प्राप्त करना;

(ख) प्रेषक राज्य के राष्ट्रिकों का पंजीकरण करना तथा इस प्रकार का एक रजिस्टर रखना। कोंसली अधिकारी के अनुरोध पर प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी प्रेषक राज्य के राष्ट्रिकों के संबंध में इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित सूचना प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकते हैं;

(ग) प्रेषक राज्य के राष्ट्रिकों के जन्म तथा मृत्यु के संबंध में सूचना तथा दस्तावेजों का पंजीकरण करना और उन्हें प्राप्त करना;

(घ) प्रेषक राज्य की विधि के अनुसार प्रेषक राज्य के राष्ट्रिकों के विवाह से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करवाना तथा तलाक का पंजीकरण करना, बशर्तेकि इससे प्राप्तकर्ता राज्य की विधियों और विनियमों का उल्लंघन नहीं होता हो;

(ड.) गोद लेने की कार्रवाई को औपचारिक रूप देना बशर्तेकि गोद लिया जा रहा व्यक्ति तथा गोद लेने वाला व्यक्ति प्रेषक राज्य के राष्ट्रिक हों और यह कि इससे प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों का उल्लंघन नहीं होता हो।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के उपबंध संबंधित व्यक्तियों को प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों के पालन करने से संबद्ध दायित्व से मुक्त नहीं करते हैं।

अनुच्छेद-11

पासपोर्ट और वीजा जारी करना

कोंसली अधिकारी को अधिकार होगा कि वह :

(क) प्रेषक राज्य के राष्ट्रिकों को पासपोर्ट अथवा अन्य यात्रा दस्तावेज जारी करे, उनमें संशोधन, नवीकरण करे अथवा उन्हें रद्द करे;

(ख) जिन व्यक्तियों को प्रेषक राज्य में जाना है या उससे गुजरना है, उन्हें वीजा जारी करे और उक्त वीजा पर पृष्ठांकन करे अथवा उसे रद्द करे।

अनुच्छेद-12

नोटरीकरण तथा अधिप्रमाणन

कोंसली अधिकारी को अधिकार होगा कि वह :

(क) प्रेषक राज्य के राष्ट्रिक के अनुरोध पर प्रार्थना पत्र अथवा बयान प्राप्त करे, उन्हें तैयार करे अथवा उनका सत्यापन करे तथा अपने तदनुरूपी दस्तावेज जारी करे;

(ख) प्रेषक राज्य के राष्ट्रिक द्वारा की जाने वाली वसीयतों को तैयार करे, उनका सत्यापन करे तथा उन्हें अभिरक्षा में सुरक्षित रखे;

(ग) प्रेषक राज्य के राष्ट्रिकों द्वारा आपस में किए गए लेन-देनों के प्रलेख तैयार करे अथवा उनका सत्यापन करे और यह देखे कि ये लेन-देन प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों द्वारा निषिद्ध नहीं हैं। कोंसली अधिकारी ऐसे लेन-देनों से संबंधित प्रलेखों को न तो तैयार कर सकता है और न ही उन्हें सत्यापित कर सकता है जिनसे प्राप्तकर्ता राज्य में स्थित अचल संपत्ति पर अधिकार सिद्ध होते हों अथवा संपत्ति के अधिकार अन्तरित होते हों;

(घ) उन मामलों में प्राप्तकर्ता राज्य के राष्ट्रिकों के बीच लेन-देनों से संबंधित प्रलेखों को तैयार करे अथवा सत्यापित करे जिनमें ऐसे लेन-देनों का अनन्य संबंध प्रेषक राज्य में संपत्ति और अधिकारों से हो अथवा यदि ऐसे लेन-देन उस राज्य में निष्पादित किए जाने हों तो ऐसे प्रलेखों को इस शर्त पर तैयार करे अथवा सत्यापित करे जिनसे प्राप्तकर्ता राज्य की विधि और विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है;

(ङ) प्रेषक राज्य अथवा प्राप्तकर्ता राज्य के प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों को अधिप्रमाणित करे तथा ऐसे दस्तावेजों की प्रतियों की अधिप्रमाणिकता तथा उनका अनुवाद अथवा उनसे लिए गए उद्धरणों को सत्यापित भी करे;

(च) दस्तावेजों पर प्रेषक राज्य के राष्ट्रिकों के हस्ताक्षर सत्यापित करे यदि उक्त दस्तावेजों की विषयवस्तु प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों का उल्लंघन नहीं करती है;

(छ) अन्य नोटरी कार्य निष्पादित करे जिनके लिए प्रेषक राज्य द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तथा जिनके संबंध में प्राप्तकर्ता राज्य को कोई आपत्ति न हो।

2. प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों के अनुसार कौंसली अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए, प्रमाणित किए गए अथवा अधिप्रमाणित किए गए उक्त दस्तावेजों को जब प्राप्तकर्ता राज्य में उपयोग में लाया जा चुका हो तब ऐसे दस्तावेजों की वही वैधता तथा प्रभाव होगा जैसा प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तैयार किए गए, प्रमाणित किए गए अथवा अधिप्रमाणित किए गए दस्तावेजों का होगा। यदि प्राप्तकर्ता राज्य की विधि के अनुसार इन दस्तावेजों को कानूनी रूप दिया जाना हो तो इन दस्तावेजों को कानूनी रूप दिया जाएगा।

अनुच्छेद-13

नजरबंदी तथा गिरफ्तारी की सूचना और मुलाकात

1. यदि प्रेषक राज्य के किसी राष्ट्रिक को प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कौंसली कार्यक्षेत्र में नजरबंद किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है अथवा किसी अन्य तरीके से उसे स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो उक्त प्राधिकारी यथासंभव शीघ्र उक्त मामले की सूचना कौंसली केन्द्र को देंगे।

2. कौंसली प्राधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रेषक राज्य के ऐसे किसी राष्ट्रिक से मुलाकात कर सकता है जिसे नजरबंद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है अथवा जिसे किसी अन्य तरीके से स्वतंत्रता से वंचित किया गया है ताकि वह उसके साथ बातचीत कर सके अथवा उसे सूचना दे सके और उसके लिए कानूनी सहायता का प्रबंध कर सके। प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी उक्त राष्ट्रिक के साथ कौंसली अधिकारी की मुलाकात का यथासंभव शीघ्र प्रबंध करेंगे।

3. कौंसली अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह प्रेषक राज्य के ऐसे किसी राष्ट्रिक के साथ मुलाकात कर सकता है जो सजा काट रहा हो।

4. प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैरा 1, 2, और 3 के उपबंधों की सूचना प्रेषक राज्य के उक्त उल्लिखित राष्ट्रिक को देंगे।

5· कोंसली अधिकारी इस अनुच्छेद में उल्लिखित कार्यों के निष्पादन में प्राप्तकर्ता राज्य की संगत विधि तथा विनियमों का पालन करेगा। तथापि, प्राप्तकर्ता राज्य की संगत विधि तथा विनियमों का प्रवर्तन इस अनुच्छेद में उल्लिखित अधिकारों के क्रियान्वयन को प्रतिबाधित नहीं करेगा।

अनुच्छेद-14

अभिभावकत्व और न्यासिता

1· किसी कोंसली क्षेत्र में प्रेषक राज्य के किसी ऐसे राष्ट्रिक के लिए, जिसमें अवयस्क राष्ट्रिक भी शामिल होगा, जो अपने काम स्वयं करने की क्षमता न रखता हो या जिसकी सीमित क्षमता हो, अगर अभिभावक अथवा न्यासी की आवश्यकता होगी तो प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी संबद्ध कोंसली केन्द्र को सूचित करेंगे।

2· किसी कोंसली अधिकारी को, प्राप्तकर्ता राज्य की विधि एवं विनियमों के अन्तर्गत अनुमत सीमा तक, प्रेषक राज्य के किसी ऐसे राष्ट्रिक के, जिसमें अवयस्क राष्ट्रिक भी शामिल होगा, अधिकारों और हितों की रक्षा करने का हक होगा जो अपने काम स्वयं करने की क्षमता न रखता हो या जिसकी सीमित क्षमता हो, और जब जरूरी हो तब वह संबद्ध व्यक्ति के लिए किसी अभिभावक अथवा न्यासी की सिफारिश अथवा मनोनयन भी कर सकता है तथा अभिभावकत्व अथवा न्यासिता से संबद्ध गतिविधियों की निगरानी भी कर सकता है।

अनुच्छेद-15

प्रेषक राज्य के राष्ट्रिकों की सहायता

1· कोंसली अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह :

(क) संबद्ध कोंसली क्षेत्र में प्रेषक राज्य के किसी राष्ट्रिक के साथ सम्पर्क करे तथा उनसे मिले, और प्राप्तकर्ता राज्य प्रेषक राज्य के राष्ट्रिकों और किसी कोंसली केन्द्र के बीच सम्पर्क पर न तो कोई प्रतिबंध लगाएगा और न कोंसली केन्द्र में उनके आने-जाने पर कोई प्रतिबंध लगाएगा;

(ख) प्राप्तकर्ता राज्य में प्रेषक राज्य के किसी राष्ट्रिक के रहन-सहन और काम के हालात का ठीक-ठीक पता लगाएगा तथा उसे आवश्यक सहायता प्रदान करेगा;

(ग) प्रेषक राज्य के किसी राष्ट्रिक का पक्का पता लगाने के लिए प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों से अनुरोध करेगा और प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी संबद्ध जानकारी देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे;

(घ) प्रेषक राज्य के किसी राष्ट्रिक से धन, मूल्यवान वस्तुएं, प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज लेगा और उन्हें अस्थायी तौर पर अपनी हिफाजत में रखेगा बशर्ते कि ऐसा करने से प्राप्तकर्ता राज्य के विधि एवं विनियमों का उल्लंघन न होता हो। इस सम्पत्ति को अथवा इन दस्तावेजों को प्राप्तकर्ता राज्य के बाहर तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उस राज्य की सहमति प्राप्त न कर ली गई हो।

2. अगर प्रेषक राज्य का कोई राष्ट्रिक अपने अधिकारों और अपने हितों की रक्षा के लिए इलाके में मौजूद न हो अथवा किसी अन्य कारण से समय पर ऐसा न कर सके तो कौंसली अधिकारी न्यायालय के सम्मुख अथवा प्राप्तकर्ता राज्य के अन्य सक्षम प्राधिकारियों के सम्मुख उसका प्रतिनिधित्व कर सकेगा अथवा प्राप्तकर्ता राज्य के विधि एवं विनियमों के अनुरूप उसके लिए तब तक के लिए एक उचित प्रतिनिधि की व्यवस्था करेगा जब तक कि वह स्वयं अपना प्रतिनिधि नियुक्त न करे अथवा अपने अधिकारों या हितों की रक्षा का दायित्व स्वयं न ले ले।

अनुच्छेद-16

मृत्यु की अधिसूचना

प्राप्तकर्ता राज्य में प्रेषक राज्य के किसी राष्ट्रिक की मृत्यु की सूचना मिलने पर प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी यथाशीघ्र कौंसली केन्द्र को सूचित करेंगे तथा कौंसली केन्द्र के अनुरोध पर एक मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु प्रमाणित करने वाले किसी अन्य दस्तावेज की एक प्रति कौंसली केन्द्र को देंगे।

अनुच्छेद-17

सम्पत्ति संबंधी कार्य

1. अगर प्रेषक राज्य का कोई मृत राष्ट्रिक प्राप्तकर्ता राज्य में अपने पीछे कोई सम्पत्ति छोड़ गया हो और प्राप्तकर्ता राज्य में उसका कोई उत्तराधिकारी अथवा उसकी वसीयत के मुताबिक कोई प्रबंधक न हो तो प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी तत्परतापूर्वक कोंसली केन्द्र को सूचना देंगे।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी सम्पत्ति की जब सूची तैयार की जा रही हो और प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उसे सीलबन्द किया जा रहा हो उस समय कोंसली अधिकारी को वहां उपस्थित रहने का अधिकार होगा।

3. अगर प्रेषक राज्य का कोई राष्ट्रिक प्राप्तकर्ता राज्य में किसी भी राष्ट्रिकता के मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी के रूप में अथवा उसके वसीयतदार के रूप में कोई सम्पत्ति या वसीयत किया हुआ उपहार दाय के रूप में पाने या प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति प्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश में मौजूद न हो तो प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी उक्त व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति या वसीयत में दिए गए उपहार के बारे में कोंसली केन्द्र को सूचित करेंगे।

4. अगर प्रेषक राज्य के किसी राष्ट्रिक का प्राप्तकर्ता राज्य में किसी सम्पत्ति पर दायगत अधिकार हो या वह इस अधिकार का दावा करता हो लेकिन दाय संबंधी कार्रवाई में न तो वह खुद आ सकता हो और न उसका कोई प्रतिनिधि तो कोंसली अधिकारी स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्तकर्ता राज्य के न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उस राष्ट्रिक का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

5· प्रेषक राज्य के किसी ऐसे राष्ट्रिक की ओर से, जो प्राप्तकर्ता राज्य का स्थायी निवासी न हो, कौंसली अधिकारी को प्राप्तकर्ता राज्य में कोई भी सम्पत्ति अथवा वसीयत में दिया गया उपहार उस राष्ट्रिक को भेजने के लिए लेने का अधिकार होगा, जो उस राष्ट्रिक को मिलना हो।

6· अगर प्रेषक राज्य का कोई राष्ट्रिक जो प्राप्तकर्ता राज्य का स्थायी निवासी न हो, प्राप्तकर्ता राज्य में अस्थायी निवास के दौरान अथवा वहां से गुजरते हुए मर जाए और प्राप्तकर्ता राज्य में उसका कोई संबंधी अथवा प्रतिनिधि न हो तो, कौंसली अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह तुरन्त सभी दस्तावेजों को, धन और उसकी निजी वस्तुओं को, जो मृत राष्ट्रिक के पास हों, उन्हें मृत राष्ट्रिक के उत्तराधिकारी को, वसीयतदार को या फिर इस पैरसम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों को भेजने के लिए अस्थायी तौर पर अपनी हिफाजत में ले ले।

7· इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4, 5 और 6 में उल्लिखित दायित्वों को पूरा करने में कौंसली अधिकारी प्राप्तकर्ता राज्य के संगत विधि एवं नियमों का पालन करेगा।

अनुच्छेद-18

प्रेषक राज्य के जहाजों को सहायता

1· कौंसली अधिकारी को प्रेषक राज्य के ऐसे सभी जहाजों को हर तरह की सहायता देने का अधिकार होगा जो प्राप्तकर्ता राज्य के आन्तरिक अथवा प्रादेशिक समुद्र में हों, और :

(क) जब जहाज को तट पर मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी गई हो तो उस जहाज पर जाकर उसके मास्टर से और चालक दल के किसी भी सदस्य से पूछताछ करने तथा जहाज के बारे में, उसके माल और उसकी यात्रा के बारे में रिपोर्ट लेने का अधिकार होगा;

(ख) प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के अधिकारों को किसी भी तरह प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना मार्ग में घटित किसी भी घटना की जांच करने का और मास्टर तथा चालक दल के बीच के विवाद को प्रेषक राज्य की विधि एवं विनियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत तरीके से तय कराने का भी अधिकार होगा जिसमें उनके वेतन तथा सेवा संविदाओं से संबंधित मतभेद भी शामिल होंगे;

(ग) जहाज के मास्टर अथवा चालक दल के किसी भी सदस्य से मुलाकात करने का अधिकार होगा और जब कभी जरूरत हो तो उनके लिए चिकित्सा उपचार का या उसकी घर वापिसी का प्रबंध करने का अधिकार होगा;

(घ) किसी भी जहाज से संबद्ध दस्तावेजों को प्राप्त करने, उनकी जांच करने, उनको तैयार करने, उन पर हस्ताक्षर और प्राधिकृत करने का अधिकार होगा;

(ड·) जहाजों और उनके चालक दल के संबंध में प्रेषक राज्य के विधि एवं विनियमों में निहित व्यवस्था के अनुरूप उनके अधीक्षण एवं निरीक्षण संबंधी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा;

(च) जहाज के संबंध में प्रेषक राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों को निपटाने का अधिकार होगा।

2· जहाज का मास्टर और उसके चालक दल का कोई भी सदस्य कौंसली अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। वे इस ओर से आश्वस्त होकर कौंसली केन्द्र जा सकते हैं कि इससे प्राप्तकर्ता राज्य के फत्तन एवं विदेशियों से संबंधित प्रशासन और विधि एवं विनियमों का किसी तरह उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

अनुच्छेद-19

प्रेषक राज्य के जहाज के खिलाफ अनिवार्य कार्रवाई के मामले में संरक्षण

1. यदि प्राप्तकर्ता राज्य के न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी प्रेषक राज्य के किसी जहाज के संबंध में अथवा उसके जहाज पर जाकर कोई अनिवार्य कार्यवाही करने अथवा सरकारी जांच-पड़ताल शुरू करने की मंशा रखते हैं तो उन्हें कोंसली केन्द्र को इस बारे में सूचित करना होगा। इस प्रकार की सूचना जहां तक हो सके ऐसी कार्रवाई शुरू करने से पहले दी जानी चाहिए ताकि कोंसली अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि उस समय उपस्थित हो सके जब ऐसी कोई कार्यवाही की जाने वाली है। यदि मामले की तात्कालिकता के कारण पूर्व सूचना नहीं दी जाती है तो उस दशा में प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी को कार्यवाही करने के तत्काल बाद कोंसली केन्द्र को सूचित करना होगा तथा कोंसली अधिकारी के अनुरोध पर उसे उक्त कार्यवाही से संबंधित पूरी जानकारी तत्काल देनी होगी।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के प्रावधान जहाज के मास्टर अथवा उसके चालक दल के किसी भी सदस्य के खिलाफ प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तट पर की गई इस प्रकार की कार्रवाई पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 के प्रावधान सीमा शुल्क, फत्तन प्रशासन, गमनागमन तथा पासपोर्ट निरीक्षणों पर लागू नहीं होंगे और ये प्रावधान समुद्र में नौपरिवहन सुरक्षा का सुनिश्चय करने अथवा जल प्रदूषण को रोकने के लिए प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किए गए उपायों पर भी लागू नहीं होंगे।

4. जब प्राप्तकर्ता राज्य की शांति, सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हो रहा हो तो उस स्थिति में प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी को जहाज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सिवाय इसके कि इस संबंध में प्रेषक राज्य के मास्टर अथवा कोंसली अधिकारी द्वारा इसके लिए अनुरोध किया गया हो अथवा इस संबंध में उनकी सहमति हो।

अनुच्छेद-20

प्रेषक राज्य के क्षतिग्रस्त जहाजों को सहायता

प्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में अथवा उसके प्रादेशिक समुद्र में यदि प्रेषक राज्य के किसी जहाज को जहाजी क्षति पहुंचती है, वह भूमि में धंस जाता है, तट से बह जाता है अथवा उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी मामले की सूचना यथासंभव शीघ्र कोंसली केन्द्र को देंगे तथा उसे इस बात की सूचना भी देंगे कि उन्होंने जहाज पर सवार व्यक्तियों, उसके कारगो तथा अन्य सम्पत्तियों को बचाने के लिए क्या उपाय किए हैं।

2. कोंसली अधिकारी को प्रेषक राज्य के क्षतिग्रस्त जहाज तथा उसके चालक दल और यात्रियों को सभी प्रकार की सहायता देने का अधिकार प्राप्त होगा और उसे जहाज की मरम्मत के लिए उचित उपाय करने का अधिकार भी प्राप्त होगा। इस प्रयोजन के लिए वह प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों से उचित सहायता हेतु अनुरोध कर सकता है।

3. प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा अपने प्रदेश में क्षतिग्रस्त जहाज, उसके कारगो अथवा उसमें रखी वस्तुओं पर तब तक कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा जब तक उस राज्य में इस्तेमाल अथवा बिक्री के लिए उनकी सुपुर्दगी नहीं की जाएगी।

4. यदि प्रेषक राज्य का क्षतिग्रस्त जहाज अथवा उसकी वस्तुएं अथवा उसका कारगो प्राप्तकर्ता राज्य के समुद्र तट के पास पाया जाता है अथवा उन्हें प्राप्तकर्ता राज्य के पत्तन में लाया जाता है और उक्त जहाज का मास्टर अथवा उसका मालिक अथवा उक्त जहाज कम्पनी का कोई एजेण्ट अथवा इसकी बीमा कम्पनी का कोई एजेण्ट मौजूद नहीं है अथवा वह इनके संरक्षण अथवा निपटान के लिए कोई उपाय करने की स्थिति में नहीं है तो प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी कोंसली केन्द्र को इस संबंध में यथाशीघ्र सूचना देंगे। कोंसली अधिकारी जहाज के मालिक की ओर से प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए उचित उपाय करेगा। इस पैरा के प्रावधान उक्त जहाज में रखी प्रेषक राज्य के राष्ट्रों से संबंधित किसी भी वस्तु पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-21

प्रेषक राज्य का वायुयान

प्रेषक राज्य के जहाजों से संबंधित इस अभिसमय के प्रावधान प्रेषक राज्य के वायुयान पर लागू होंगे बशर्तेकि ऐसे प्रवर्तन से प्रेषक राज्य तथा प्राप्तकर्ता राज्य के बीच प्रभावी द्विपक्षीय करारों के प्रावधानों का अथवा बहुपक्षीय करारों जिनमें दोनों राज्य पक्षकार हों, के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता हो।

अनुच्छेद-22

न्यायिक दस्तावेजों का सम्प्रेषण

कोंसली अधिकारी को अधिकार होगा कि वह प्रेषक राज्य तथा प्राप्तकर्ता राज्य के बीच करारों के अधीन रहते हुए और प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों द्वारा अनुमत सीमा तक न्यायिक और अत्यधिक न्यायिक दस्तावेजों का संप्रेषण कर सकता है।

अनुच्छेद-23

कोंसली कार्यों के निष्पादन का कार्यक्षेत्र

कोंसली अधिकारी केवल अपने कोंसली कार्यक्षेत्र में ही अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। प्राप्तकर्ता राज्य की सम्मति से वह कोंसली कार्यक्षेत्र के बाहर भी अपने कार्यों का निष्पादन कर सकता है।

अनुच्छेद-24

प्राप्तकर्ता राज्य के प्राधिकारियों के साथ संचार

अपने कार्यों का निर्वाह करते हुए कोंसली अधिकारी अपने कोंसली कार्यक्षेत्र के स्थानीय सक्षम प्राधिकारियों को सम्बोधित कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वह प्राप्तकर्ता राज्य की विधि, विनियमों तथा प्रथाओं द्वारा अनुमत सीमा तक प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम केन्द्रीय प्राधिकारियों को भी सम्बोधित कर सकता है।

अध्याय-चार

सुविधाएं, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

अनुच्छेद-25

कोंसली केन्द्र के लिए सुविधाएं

1. प्राप्तकर्ता राज्य कोंसली केन्द्र के कार्यों के निष्पादन के लिए पूरी सुविधाएं देगा।

2. प्राप्तकर्ता राज्य कोंसली केन्द्र के सदस्यों के साथ यथोचित आदरपूर्वक व्यवहार करेगा और वे ऐसे कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्विघ्न निर्वाह तथा इस अभिसमय में यथा उल्लेखित उनके अधिकारों, उन्हें प्राप्त सुविधाओं, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का सुनिश्चय करेगा।

अनुच्छेद-26

कोंसली परिसर तथा आवासों का अधिग्रहण

1. प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों द्वारा अनुमत सीमा तक प्रेषक राज्य अथवा उसके प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वे :

(क) कोंसली परिसर तथा कोंसली केन्द्र के सदस्यों के आवासों जिनमें उन सदस्यों के आवास शामिल नहीं हैं जो प्राप्तकर्ता राज्य के राष्ट्रिक अथवा स्थायी निवासी हैं, के रूप में उपयोग के लिए किसी भवन अथवा किसी भवन के किसी भाग और उससे संबद्ध भूमि को खरीद सकते हैं, उसे पट्टे पर ले सकते हैं अथवा किसी अन्य तरीके से उसका अधिग्रहण कर सकते हैं;

(ख) अधिगृहीत भूमि पर निर्माण कर सकते हैं अथवा भवनों को बेहतर बना सकते हैं।

2· प्राप्तकर्ता राज्य, कोंसली परिसर के अधिग्रहण में और आवश्यक हुआ तो कोंसली केन्द्र के सदस्यों के आवासों के अधिग्रहण में प्रेषक राज्य की मदद करेगा।

3· इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रेषक राज्य अथवा उसका प्रतिनिधि भूमि, निर्माण तथा नगर आयोजन से संबंधित प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों का पालन करेगा।

अनुच्छेद-27

राष्ट्रीय झण्डे और राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग

1· प्रेषक राज्य को कोंसली परिसर पर अपना राष्ट्रीय चिन्ह लगाने तथा अपनी तथा प्राप्तकर्ता राज्य की भाषाओं में कोंसली केन्द्र का नाम लिखने का अधिकार होगा।

2· प्रेषक राज्य को कोंसली परिसर, कोंसली केन्द्र प्रमुख के आवास तथा अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वाह में प्रयुक्त वाहनों पर अपना राष्ट्रीय झण्डा फहराने का अधिकार होगा।

3· इस अनुच्छेद में उल्लिखित अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राप्तकर्ता राज्य की विधियों, विनियमों तथा प्रथाओं को सम्मान दिया जाएगा।

अनुच्छेद-28

कोंसली परिसर तथा कोंसली केन्द्र के सदस्यों के आवासों की अलंघ्यता

1· कोंसली परिसर तथा कोंसली केन्द्र के सदस्यों के आवास अलंघ्य होंगे। प्राप्तकर्ता राज्य के प्राधिकारी कोंसली केन्द्र प्रमुख अथवा प्राप्तकर्ता राज्य में प्रेषक राज्य के राजनयिक मिशन के प्रमुख की अथवा इन दोनों में से किसी एक द्वारा मनोनीत व्यक्ति की सम्मति के बिना कोंसली परिसर तथा कोंसली केन्द्र के सदस्यों के आवासों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

2· कोंसली केन्द्र के तथा कोंसली अधिकारियों के वाहनों को तलाशी, गिरफ्तारी अथवा निष्पादन से छूट होगी।

3. प्राप्तकर्ता राज्य कोंसली परिसर तथा कोंसली केन्द्र के सदस्यों के आवासों को किसी भी प्रकार के अनाधिकार प्रवेश अथवा क्षति से बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा तथा कोंसली केन्द्र की शांति में किसी प्रकार के व्यवधान को तथा उसकी गरिमा को हानि पहुंचने से रोकने के लिए भी सभी आवश्यक उपाय करेगा।

अनुच्छेद-29

कोंसली परिसर को अधिग्रहण से उन्मुक्ति

कोंसली परिसर, उसकी साज-सज्जा के सामान व सम्पत्ति और कोंसली केन्द्र के वाहन किसी प्रकार के अधिग्रहण से उन्मुक्त होंगे।

अनुच्छेद-30

कोंसली अभिलेखों की अलंघ्यता

कोंसली अभिलेख जहां कहीं भी होंगे हमेशा के लिए अलंघ्य होंगे।

अनुच्छेद-31

पत्र-व्यवहार की स्वतंत्रता

1. प्राप्तकर्ता राज्य सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए कोंसली केन्द्र द्वारा किए गए पत्र-व्यवहार की स्वतंत्रता को संरक्षण और अनुमति देगा। प्रेषक राज्य की सरकार, राजनयिक मिशनों और अन्य कोंसली केन्द्रों के साथ पत्र-व्यवहार में कोंसली केन्द्र साइफर अथवा कोड द्वारा संदेश, राजनयिक या कोंसली दूत और राजनयिक या कोंसली बैग सहित पत्र-व्यवहार के सभी उपयुक्त माध्यमों का उपयोग कर सकता है। तथापि, कोंसली केन्द्र केवल प्राप्तकर्ता राज्य की अनुमति से ही रेडियो ट्रांसमीटर लगा सकता है और उनका उपयोग कर सकता है।

2. कोंसली केन्द्र का सरकारी पत्र-व्यवहार अलंघ्य होगा। सरकारी पत्र-व्यवहार का अर्थ है कोंसली केन्द्र और उसके कार्यों से संबंधित समस्त पत्र-व्यवहार। कोंसली बैग न तो खोला जाएगा, न ही रोका जाएगा। कोंसली बैग के सभी पैकेटों के उभर उसके स्वरूप को दर्शाने वाले चिन्ह अंकित होंगे और उनमें केवल सरकारी पत्र और सरकारी कागजात और केवल सरकारी उपयोग में आने वाली वस्तुएं होंगी।

3. कोंसली दूत केवल प्रेषक राज्य का राष्ट्रिक होगा और प्राप्तकर्ता राज्य का स्थायी निवासी नहीं होगा। उसे एक सरकारी दस्तावेज दिया जाएगा जिसमें उसकी हैसियत और कोंसली बैग में रखे पैकेटों की संख्या का उल्लेख होगा। कोंसली दूत को अपने कर्त्तव्यों के पालन में प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाएगा और उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होगी और उसे किसी प्रकार से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

4. प्रेषक राज्य उसके राजनयिक मिशन और कोंसली केन्द्र तदर्थ आधार पर कोंसली दूत नियुक्त कर सकते हैं; ऐसे मामलों में इस अनुच्छेद के पैरा 3 में उल्लेखित उपबंध भी लागू होंगे सिवाय इसके कि दूत के प्रभार में जो कोंसली बैग है उसे प्रेषिती को सौंप देने के पश्चात इसमें उल्लेखित विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां लागू नहीं होंगी।

5. कोंसली बैग प्रेषक राज्य के हवाई जहाज या समुद्री-जहाज के कैप्टन को सौंपा जा सकता है। उसे एक सरकारी दस्तावेज दिया जाएगा जिसमें बैग में रखे पैकेटों की संख्या का उल्लेख होगा। तथापि, उसे कोंसली दूत नहीं समझा जाएगा। प्राप्तकर्ता राज्य के उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ व्यवस्था कर कोंसली केन्द्र का सदस्य बैग को सीधे उससे बिना हिचक प्राप्त कर सकता है या दे सकता है।

अनुच्छेद-32

कोंसली शुल्क और प्रभार

प्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में कोंसली केन्द्र प्रेषक राज्य की विधि और विनियमों के अनुसार कोंसली कार्यों के लिए कोंसली शुल्क तथा प्रभार लगा सकता है।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लेखित शुल्क व प्रभार और उनकी प्राप्ति को प्राप्तकर्ता राज्य के सभी प्रभारों तथा करों से छूट होगी।

अनुच्छेद-33

आने-जाने की स्वतंत्रता

राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जिन क्षेत्रों में प्रवेश निषेद्ध है अथवा विनियमित है उन क्षेत्रों से संबद्ध प्राप्तकर्ता राज्य की विधियों और विनियमों के अधीन रहते हुए कोंसली केन्द्र के सदस्यों को उस राज्य में आने-जाने की और यात्रा करने की स्वतंत्रता होगी।

अनुच्छेद-34

कोंसली अधिकारियों की व्यक्तिगत अलंघ्यता

1. प्राप्तकर्ता राज्य कोंसली अधिकारियों और कोंसली केन्द्र के प्रशासनिक व तकनीकी कर्मचारियों को यथोचित सम्मान देगा और उन पर, उनकी स्वतंत्रता व मान-सम्मान पर होने वाले किसी प्रकार के आक्रमण से बचाव के लिए सभी समुचित उपाय करेगा।

2. कोंसली अधिकारी को गिरफ्तार या नजरबन्द नहीं किया जा सकेगा।

3. कोंसली केन्द्र के प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारियों और सेवा कर्मचारियों को गम्भीर अपराध के मामले और प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम न्यायिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण के मामले को छोड़कर मुकदमा लंम्बित होने की स्थिति में गिरफ्तार अथवा नजरबन्द नहीं किया जा सकेगा।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट मामले को छोड़कर, कोंसली केन्द्र के प्रशासनिक व तकनीकी कर्मचारियों तथा सेवा कर्मचारियों को अन्तिम रूप से न्यायिक निर्णय को लागू करने को छोड़कर, कैद नहीं किया जाएगा अथवा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी।

5. यदि कोंसली केन्द्र के प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी या सेवा कर्मचारी के विरूद्ध अपराध सम्बन्धी कार्यवाही शुरू की जाती है तो उसे सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अवश्य प्रस्तुत होना चाहिए। फिर भी इस अनुच्छेद के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट मामले को छोड़कर उसके विरूद्ध कार्यवाही, पूरा मान-सम्मान देते हुए इस तरीके से की जाएगी कि कोंसली कार्यों के निष्पादन में जहां तक सम्भव होगा, कम से कम अवरोध आएगा। इस अनुच्छेद के पैरा 3 में उल्लिखित परिस्थितियों में जब उसे गिरफ्तार या नजरबंद करना आवश्यक हो जाए तो उसके विरूद्ध कार्यवाही अविलम्ब शुरू की जाएगी।

अनुच्छेद-35

क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति

1. कोंसली अधिकारी को प्राप्तकर्ता राज्य के आपराधिक क्षेत्राधिकार से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त होगी। वह कोंसली कार्यों का निष्पादन करते हुए प्राप्तकर्ता राज्य के सिविल व प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से भी उन्मुक्त होगा।

2. कोंसली केन्द्र के प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी तथा सेवा कर्मचारी कोंसली कार्यों के निष्पादन के संबंध में प्राप्तकर्ता राज्य के अपराध, सिविल तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से भी उन्मुक्त होंगे।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 के उपबंध निम्नलिखित सिविल कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे :

(क) कोंसली केन्द्र के सदस्य द्वारा की गई संविदा से उत्पन्न मामले में जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अथवा अन्तर्निहित रूप से प्रेषक राज्य के एजेण्ट के रूप में संविदा नहीं की हो;

(ख) प्राप्तकर्ता राज्य में वाहन, जहाज या वायुयान द्वारा हुई दुर्घटना से हुए नुकसान के लिए तृतीय पक्ष द्वारा;

§ग§ प्राप्तकर्ता राज्य में निजी अचल सम्पत्ति के मामले में सिवाय इसके कि कोंसली केन्द्र का सदस्य प्रेषक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में और कोंसली केन्द्र के उद्देश्य से उसे अपने अधिकार में रखता है;

§घ§ उत्तराधिकार के संबंध में जिसमें कोंसली केन्द्र का सदस्य निजी व्यक्ति की हैसियत से निष्पादक, प्रशासक, वारिस या रिक्थग्राही के रूप में उसमें सम्मिलित है;

§ड·§ प्राप्तकर्ता राज्य में कोंसली केन्द्र के किसी सदस्य द्वारा अपने सरकारी कार्यों की सीमा से बाहर किन्हीं व्यावसायिक या वाणिज्यिक गतिविधियों से उत्पन्न मामलों में।

4· इस अनुच्छेद के पैरा 3 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर प्राप्तकर्ता राज्य कोंसली अधिकारी के विरूद्ध अभियोजन चलाने की व्यवस्था नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था करने की स्थिति में कोंसली अधिकारी की व्यक्तिगत और आवास की अलंघ्यता को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।

अनुच्छेद-36

साक्ष्य देने का उत्तरदायित्व

1· कोंसली अधिकारी को गवाह के रूप में साक्ष्य देने के लिए किसी भी तरह मजबूर नहीं किया जाएगा। प्राप्तकर्ता राज्य कोंसली अधिकारी के प्रति उत्पीड़न या दण्ड उपायों को नहीं अपनाएगा यदि वह साक्ष्य देने से इन्कार करता है।

2· कोंसली केन्द्र के प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी या सेवा कर्मचारी को प्राप्तकर्ता राज्य की न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाहियों के दौरान साक्ष्य देने के लिए बुलाया जा सकता है। इस अनुच्छेद के पैरा 3 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर उसे साक्ष्य देने से इन्कार नहीं करना चाहिए। तथापि, किसी भी हालत में उसके विरूद्ध उत्पीड़क उपायों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

3. कोंसली केन्द्र का प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी या सेवा कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने से संबंधित मामलों में साक्ष्य देने या सरकारी पत्राचार या उससे संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। उसे अधिकार है कि वह प्रेषक राज्य की विधि के संबंध में विशेषज्ञ गवाह के रूप में साक्ष्य देने से इन्कार कर सकता है।

4. प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी, जिन्हें कोंसली केन्द्र के प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी अथवा सेवा कर्मचारी के साक्ष्य की आवश्यकता है, उसके कर्त्तव्यों के निष्पादन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वे जब सम्भव हो उसके घर पर या कोंसली परिसर में उसका साक्ष्य ले सकते हैं या उससे उसका बयान लिखित में ले सकते हैं।

अनुच्छेद-37

सेवाओं और दायित्वों से छूट

1. प्राप्तकर्ता राज्य में कोंसली केन्द्र के सदस्य को किसी प्रकार की निजी सेवाओं, सार्वजनिक सेवाओं और सैनिक दायित्वों से छूट होगी।

2. कोंसली केन्द्र का कोंसली अधिकारी और प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारी प्राप्तकर्ता राज्य के विविध विनियमों के अधीन विदेशियों के पंजीकरण और आवास परमिटों से संबंधित सभी दायित्वों से मुक्त होगा।

अनुच्छेद-38

सम्पत्तियों को कराधान से छूट

1. प्राप्तकर्ता राज्य निम्नलिखित को सभी देयताओं और करों से छूट देगाः

(क) प्रेषक राज्य के अथवा उसके प्रतिनिधि के नाम पर अधिगृहीत कोंसली परिसर और कोंसली केन्द्र के सदस्यों के आवास और उनसे संबंधित लेन-देन अथवा कागजात;

(ख) केवल सरकारी उद्देश्यों के लिए ली गई कौंसली सुविधाएं और वाहन और साथ ही उनका अधिग्रहण, अधिकार या रख-रखाव।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के उपबंध निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होंगे:

(क) विशिष्ट सेवाओं के लिए लगाए गए प्रभार;

(ख) प्राप्तकर्ता राज्य की विधि और विनियमों के अधीन किसी व्यक्ति से लेने योग्य प्रभार और कर जो प्रेषक राज्य या उसके प्रतिनिधि से संविदा करता है।

अनुच्छेद-39

कौंसली केन्द्र के सदस्यों को कराधान से छूट

1. कौंसली अधिकारी और कौंसली केन्द्र के प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों को प्राप्तकर्ता राज्य के सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या नगर प्रभारों तथा करों से छूट होगी, सिवाय :

(क) ऐसे प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जो आमतौर पर वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में शामिल होते हैं;

(ख) इस अभिसमय के अनुच्छेद-38 के पैरा 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में स्थित निजी अचल सम्पत्ति पर प्रभार और कर;

(ग) इस अभिसमय के अनुच्छेद-43 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सम्पदा और विरासत शुल्क और अन्तरण शुल्क;

(घ) प्राप्तकर्ता राज्य में सरकारी कर्त्तव्यों से प्राप्त आय के अलावा निजी आय पर प्रभार और कर;

(ड.) की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए लगाए गए प्रभार;

(च) इस अभिसमय के अनुच्छेद-38 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पंजीकरण, न्यायालय अथवा रिकार्ड शुल्क, गिरवी प्रभार व महसूल-स्टाम्प।

2. कौंसली केन्द्र के सेवा कर्मचारियों को केन्द्र में अपनी सेवा के लिए प्राप्त होने वाली उनकी मजदूरियों पर प्राप्तकर्ता राज्य में प्रभारों तथा करों से छूट प्राप्त होगी।

अनुच्छेद-40

सीमा-शुल्कों और निरीक्षण से छूट

1. प्राप्तकर्ता राज्य अपनी विधि और विनियमों के अनुसार निम्नलिखित मदों के प्रवेश और उनके निकास की अनुमति देगा तथा संग्रहण, ढुलाई एवं इसी प्रकार की अन्य सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को छोड़कर उन पर लगने वाले समस्त सीमा शुल्कों से छूट देगा :

(क) कौंसली केन्द्र द्वारा सरकारी उपयोग के लिए मदें;

(ख) कौंसली अधिकारी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए मदें;

(ग) कौंसली केन्द्र के प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए पहली बार स्थापना के समय आयातित मदें जिनमें उसके लिए प्रयोग में आने वाला घरेलू सामान भी शामिल है।

2. इस अनुच्छेद के पैरा-1 के उप-पैरा (ख) और (ग) में उल्लिखित मदों की तादाद संबंधित व्यक्ति द्वारा सीधे उपयोग के लिए आवश्यक तादाद से अधिक नहीं होगी।

3. किसी कौंसली अधिकारी के व्यक्तिगत सामान को सीमा-शुल्क निरीक्षण से छूट दी जाएगी। इसका निरीक्षण प्राप्तकर्ता राज्य के केवल सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उस स्थिति में ही किया जा सकता है जब यह मानने के लिए गम्भीर कारण हों कि उक्त सामान में इस अनुच्छेद के पैरा-1 के उप-पैरा (ख) में उल्लिखित मदों से भिन्न मदें हैं अथवा उसमें ऐसी मदें हैं जिनका आयात अथवा निर्यात प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों के अन्तर्गत निषिद्ध है अथवा वे मदें प्राप्तकर्ता राज्य के गमनागमन निषेध विधि और विनियमों के अन्तर्गत आती हैं। ऐसा निरीक्षण संबंधित कौंसली अधिकारी अथवा इसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा।

अनुच्छेद-41

परिवार के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

प्राप्तकर्ता राज्य कोंसली केन्द्र के किसी कोंसली अधिकारी के परिवार के सदस्यों को तथा प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को यथोचित सम्मान देगा और कोंसली अधिकारी के परिवार के सदस्यों तथा प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को क्रमशः वे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जिन्हें क्रमशः कोंसली अधिकारी और प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारी इस अभिसमय के प्रावधानों के अधीन प्राप्त करने के हकदार हैं। कोंसली केन्द्र के सेवा कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जिन्हें प्राप्त करने के लिए इस अभिसमय के अधीन सेवा कर्मचारी हकदार हैं। सेवा कर्मचारी के परिवार के उन सदस्यों को ये विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां नहीं मिलेंगी जो प्राप्तकर्ता राज्य के राष्ट्रिक हैं अथवा स्थायी निवासी हैं अथवा जो प्राप्तकर्ता राज्य में गैर-सरकारी लाभकारी व्यवसाय करते हैं।

अनुच्छेद-42

वे व्यक्ति जिन्हें विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां नहीं मिलेंगी

1. कोंसली केन्द्र के जो प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारी अथवा सेवा कर्मचारी प्राप्तकर्ता राज्य के राष्ट्रिक अथवा स्थायी निवासी हैं उन्हें इस अभिसमय के अनुच्छेद-36 के पैरा 3 के प्रावधानों के सिवाय इस अभिसमय के अन्तर्गत मिलने वाले विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां नहीं मिलेंगी।

2. इस अनुच्छेद के पैरा-1 में उल्लिखित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को इस अभिसमय के अन्तर्गत मिलने वाले विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां नहीं मिलेंगी।

अनुच्छेद-43

कोंसली केन्द्र के सदस्य की सम्पदा

कोंसली केन्द्र के किसी सदस्य अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में, प्राप्तकर्ता राज्य :

(क) मृतक की चल सम्पत्ति के निर्यात की इजाजत देगा। इसमें मृतक द्वारा प्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश में अधिगृहीत ऐसी कोई सम्पत्ति शामिल नहीं होगी जिसका निर्यात उसकी मृत्यु के समय निषिद्ध था;

(ख) मृतक की चल सम्पत्ति को सम्पदा शुल्कों तथा सभी सम्बद्ध शुल्कों से छूट देगा।

अनुच्छेद-44

विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आरम्भ और समाप्ति

1. कोंसली केन्द्र के प्रत्येक सदस्य को इस अभिसमय के अधीन मिलने वाले विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उसी समय से प्राप्त होंगी जब वह अपने पद का कार्यभार संभालने के लिए प्राप्तकर्ता राज्य में प्रवेश करेगा अथवा यदि वह पहले से ही प्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश में है तो उसे यह विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उस समय से मिलेंगी जब वह कोंसली केन्द्र में अपना दायित्व सम्भाल लेता है।

2. कोंसली केन्द्र के किसी सदस्य के परिवार के सदस्यों को इस अभिसमय के अधीन मिलने वाले विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उस तारीख से मिलेंगी जिस तारीख से उक्त सदस्य को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां मिली हों, अथवा प्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश में उनके प्रवेश की तारीख से अथवा उनके पारिवारिक सदस्य बनने की तारीख से मिलेंगी यदि वे उक्त सदस्य को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां मिलने की तारीख के पश्चात प्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश में प्रवेश करते हैं अथवा ऐसे पारिवारिक सदस्य बनते हैं।

3· जब कौंसली केन्द्र के किसी सदस्य के दायित्व समाप्त हो जाएंगे तो उस स्थिति में उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उस समय से समाप्त हो जाएंगी जब संबंधित व्यक्ति प्राप्तकर्ता राज्य छोड़ देगा अथवा जब ऐसा करने के संबंध में उचित अवधि समाप्त हो जाएगी। कौंसली केन्द्र के किसी सदस्य के परिवार के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उस स्थिति में समाप्त हो जाएंगी जब वे उक्त परिवार के सदस्य नहीं रहेंगे। तथापि इसके बाद यदि ऐसे व्यक्ति प्राप्तकर्ता राज्य से उचित अवधि के भीतर जाने की मंशा रखते हैं तो उनके विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उनकी रवानगी के समय तक उनके पास बनी रहेंगी।

4· कौंसली केन्द्र के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके परिवार के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां उनके पास प्राप्तकर्ता राज्य से उनकी रवानगी तक अथवा ऐसा करने के लिए उचित अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी।

अनुच्छेद-45

विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को समाप्त करना

1· प्रेषक राज्य इस अभिसमय के अनुच्छेद-35 और 36 के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तियों को प्राप्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों में से किसी भी विशेषाधिकार और उन्मुक्ति को समाप्त कर सकता है। उक्त विशेषाधिकारों तथा उनमुक्तियों को समाप्त करने से संबद्ध सूचना सभी मामलों में सुस्पष्ट होगी और इस संबंध में प्राप्तकर्ता राज्य को लिखित सूचना दी जाएगी।

2· ऐसे किसी मामले में जिसमें किसी व्यक्ति को इस अभिसमय के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्राप्त हो, उक्त व्यक्ति द्वारा कार्यवाही शुरू करना, उसे मुख्य दावे से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध किसी प्रतिदावे के संबंध में ऐसी उन्मुक्ति का सहारा लेने से रोकता है।

3· सिविल अथवा प्रशासनिक कार्रवाइयों के प्रयोजन से क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति को समाप्त करने का अर्थ न्यायिक निर्णय के निष्पादन से उन्मुक्ति की समाप्ति नहीं होगा। ऐसे किसी निष्पादन के संबंध में उन्मुक्ति की समाप्ति से संबद्ध अलग से लिखित सूचना आवश्यक होगी।

अध्याय-पांच

सामान्य प्रावधान

अनुच्छेद-46

प्राप्तकर्ता राज्य की विधि एवं विनियमों का सम्मान

1· इस अभिसमय के अनतर्गत यथा उपबन्धित ऐसे विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उपभोग करने वाले सभी व्यक्तियों का दायित्व है कि वे अपने विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों का सम्मान करें। इस विधि तथा विनियमों में यातायात के नियंत्रण से संबद्ध विधि तथा विनियम भी शामिल हैं। उनका यह भी दायित्व है कि वे प्राप्तकर्ता राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें।

2· कोंसली परिसर का इस्तेमाल ऐसे किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा जो कोंसली कार्यों के निष्पादन के संदर्भ में असंगत हो।

3· कोंसली केन्द्र, कोंसली केन्द्र के सदस्य तथा उनके परिवार के सदस्य परिवहन माध्यमों के बीमे से संबंधित प्राप्तकर्ता राज्य की विधि तथा विनियमों का पालन करेंगे।

4· कौंसली केन्द्र के वे सदस्य जिन्हें प्रेषक राज्य प्राप्तकर्ता राज्य को भेजता है, प्राप्तकर्ता राज्य में अपने सरकारी कार्यों से भिन्न कोई भी व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक कार्य नहीं करेंगे।

अनुच्छेद-47

राजनयिक मिशनों द्वारा कौंसली कार्यों का निष्पादन

1· प्रेषक राज्य का राजनयिक मिशन प्राप्तकर्ता राज्य में कौंसली कार्यों का निष्पादन कर सकता है। इस अभिसमय में उपबन्धित कौंसली अधिकारियों के अधिकार तथा दायित्व प्रेषक राज्य के उन राजनयिक कार्मिकों पर लागू होंगे जिन्हें कौंसली दायित्व सौंपे गए हों।

2· प्रेषक राज्य का राजनयिक मिशन उन राजनयिक कार्मिकों के नाम तथा पदों की सूचना प्राप्तकर्ता राज्य के विदेश मंत्रालय को देगा जिन्हें कौंसली दायित्व सौंपे गए हों।

3· जिन राजनयिक कार्मिकों को कौंसली दायित्व सौंपे गए हैं, उन्हें ऐसे सभी अधिकार,सुविधाएं और विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां मिलती रहेंगी जो उन्हें उनकी राजनयिक हैसियत के कारण मिलती हैं।

अनुच्छेद-48

इस अभिसमय तथा अन्य संगत अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के बीच संबंध

ऐसे किसी मामले पर जिसका इस अभिसमय में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, कार्यवाही 24 अप्रैल, 1963 के कौंसली सम्बन्धों पर सम्पन्न वियना अभिसमय के संगत उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

अध्याय-छह

अन्तिम उपबन्ध

अनुच्छेद-49

इस अभिसमय का अनुसमर्थन, प्रवर्तन तथा समाप्ति।

1. यह अभिसमय अनुसमर्थन के अधीन होगा। अनुसमर्थन के दस्तावेजों का पेइचिङ में आदान-प्रदान किया जाएगा। वर्तमान अभिसमय अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीखों के बाद से तीसवें दिन को प्रवृत्त होगा।

2. यह अभिसमय उस तारीख से छह मास की समाप्ति तक प्रवृत्त रहेगा जब दोनों संविदाकारी पक्षों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस अभिसमय को समाप्त करने से सम्बद्ध अपनी मंशा लिखित रूप में अभिसूचित करेगा।

नई दिल्ली में 13 दिसम्बर, 1991 को चीनी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल पाठों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे।

चीन लोक गणराज्य की सरकार
की ओर से

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से